बिहार सरकारी विद्यालय: शैक्षणिक अनुशासन एवं समय का सदुपयोग

उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल एवं अनिवार्य अनुपालन दिशा-निर्देश

पत्रांक: 01/प्रा.शि./स्था. - 68/2024/2199

दिनांक: 23 नवंबर 2024

प्रेषक: शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

https://teachersofbihar.org/

सख्त कदम क्यों? (हालिया निरीक्षणों से प्राप्त चिंताजनक तथ्य)

सीवान, गोपालगंज, जमुई, दरभंगा और पटना सहित विभिन्न जिलों के सघन परिभ्रमण के दौरान स्कूली शिक्षा के पठन-पाठन पर गंभीर दुष्प्रभाव उजागर हुए हैं।

कारण

- शिक्षण अवधि के दौरान बैठकें
- शिक्षक अनुपस्थिति पर वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव
- गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की संलग्नता

दुष्प्रभाव

- शिक्षण के माहौल का ह्रास
- Academic Discipline पर सीधा कुप्रभाव

निष्कर्ष: शैक्षणिक समय की बर्बादी अब पूर्णतः अस्वीकार्य है।

https://teachersofbihar.org/

6 स्तंभ: शैक्षणिक उत्कृष्टता का नया ढ़ांचा



ये सभी 6 स्तंभ आपस में जुड़े हैं—एक की विफलता, पूरी व्यवस्था की विफलता है।

https://teachersofbihar.org/



स्तंभ 1: शिक्षण समय की सुरक्षा (Zero Tolerance Policy)

⚠ क्या न करें

- विद्यालय समय में कोई बैठक, प्रशिक्षण, V.C. या कार्यशाला नहीं।
- विभागीय अधिकारी द्वारा शिक्षण अवधि में रिपोर्ट या आँकड़े की माँग नहीं।
- कोई भी घंटी (Period) खाली नहीं जाएगी।

✓ क्या करें

- विद्यालय निर्धारित समय पर खुलेगा।
- प्रार्थना सभा ठीक समय पर होगी।
- पहली घंटी से ही शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा।
- गैर-शैक्षणिक कार्य केवल अनिवार्य स्थिति में (कक्षाओं को बाधित किए बिना)।

अपवाद: अत्यावश्यक स्थिति में लिखित कारण सहित अपवाद स्वीकार्य होगा।

https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 2: "Zero Empty Class" प्रोटोकॉल

स्वचालित कार्यप्रवाह: शिक्षक अनुपस्थिति प्रबंधन

प्रातःकालीन समीक्षा

प्रधानाध्यापक प्रतिदिन प्रातः शिक्षकों की उपस्थिति देखेंगे।

कक्षा पहचान

यह तय करेंगे कि किस अनुपस्थित शिक्षक की कौन-सी कक्षा खाली रहने वाली है।

स्थानापन्न व्यवस्था (Substitute)

उसी दिन वैकल्पिक शिक्षक की ड्यूटी लगाएँगे ताकि कोई कक्षा बिना शिक्षक के न रहे।

लॉगिंग

इसे तुरंत विद्यालय के स्थानापन्न व्यवस्था रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

अवकाश नियम

बिना पूर्व सूचना/अनुमति के अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार कार्रवाई।

समय सारणी

प्रत्येक विद्यालय में कक्षावार, विषयवार दैनिक समय सारणी प्रदर्शित और कड़ाई से पालन हो।



स्थानापन्न व्यवस्था रजिस्टर

https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 3: शिक्षण की गुणवत्ता एवं निरंतर सुधार



https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 4: सकारात्मक अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण

व्यवस्था
(Strict Operations)

- समय-पालन, स्वच्छता और गणवेश (Uniform) अनिवार्य।
- मध्याह्न भोजन (MDM) की गुणवत्ता एवं समय पर वितरण— प्रधानाध्यापक स्वयं पर्यवेक्षण करेंगे, परंतु शिक्षण बाधित न हो।



सकारात्मक संस्कृति
(Safe Culture)

- परस्पर सम्मान का वातावरण।
- प्रत्येक माह निर्धारित दिवस पर अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM) (शिक्षण बाधित किए बिना)।

NO

पूर्णतः निषिद्ध: किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड (Corporal or Mental Punishment) सख्त मना है। अनुशासन केवल सकारात्मक तरीके से स्थापित किया जाए।

https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 5: सर्वांगीण विकास (सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ)

अनिवार्य शर्त: नियमित शिक्षण बाधित किए बिना



फुटबॉल / खेल

विद्यालय समय के पश्चात् सप्ताह में नियमित अभ्यास। बालक-बालिका दोनों की भागीदारी। प्रखंड/जिला स्तर पर प्रतियोगिताएँ।



कला-संस्कृति

गीत-संगीत, नाटक, शिल्प, वाद-विवाद। निर्धारित दिनों पर।



शैक्षिक वीडियो

साप्ताहिक रूप से उपलब्ध साधनों से प्रेरणादायक एवं शैक्षिक वीडियो दिखाना और उन पर चर्चा।



आत्मरक्षा प्रशिक्षण

पीटी शिक्षक द्वारा बच्चों (विशेषकर बालिकाओं) को प्रशिक्षण। (PT शिक्षक न होने पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की सहायता)।

उत्कृष्ट प्रतिभा वाले बच्चों को प्रखंड/जिला मंच पर सम्मानित किया जाएगा। सभी में सुरक्षा और समावेशन (Inclusion) अनिवार्य।

https://teachersofbihar.org/

स्तंभ 6: सख्त निरीक्षण एवं व्यक्तिगत जवाबदेही

Chain of Command

जिला स्तर (District): प्रत्येक जिले में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कर इस पत्र के अनुपालन की स्थिति देखी जाएगी।

प्रखंड/क्षेत्रीय स्तर (Block/Region): अधिकारी प्रति सप्ताह निर्धारित संख्या में विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। (मुख्य जाँच: कक्षा में शिक्षण, उपस्थिति और स्थानापन्न व्यवस्था)।

प्रधानाध्यापक (Principal): विद्यालय के शैक्षणिक अनुशासन के लिए व्यक्तिगत रूप से (Personally) उत्तरदायी होंगे।

परिणाम (Consequence)

उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और विद्यालयों को सम्मानित किया जाएगा।

लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

https://teachersofbihar.org/

दायित्व मैट्रिक्स: किसकी क्या भूमिका है?

प्रधानाध्यापक

- प्रतिदिन प्रातःकालीन उपस्थिति समीक्षा और स्थानापन्न (Substitute) व्यवस्था।
- शिक्षकों की पाठ योजना और शिक्षण डायरी का नियमित अवलोकन।
- मध्याह्न भोजन (MDM) का व्यक्तिगत पर्यवेक्षण।
- शैक्षणिक अनुशासन के लिए पूर्ण व्यक्तिगत जवाबदेही।

शिक्षक

- दैनिक पाठ योजना बनाना और कक्षावार आकलन करना।
- कमजोर बच्चों (FLN) को अतिरिक्त सहायता देना।
- सकारात्मक अनुशासन बनाए रखना (दंड पूर्णतः निषिद्ध)।

विभागीय अधिकारी

- शिक्षण अवधि में विद्यालयों से डेटा/रिपोर्ट की माँग न करना।
- कक्षाओं, उपस्थिति और स्थानापन्न व्यवस्था का साप्ताहिक निरीक्षण।
- साप्ताहिक जिला स्तरीय समीक्षा बैठक।

https://teachersofbihar.org/

विद्यालय संचालन कैलेंडर (Cadence of Operations)

दैनिक

- प्रथम घंटी से ही पठन-पाठन प्रारंभ।
- शिक्षकों/बच्चों की उपस्थिति दर्ज करना।
- अनुपस्थित शिक्षकों के लिए स्थानापन्न (Substitute) रजिस्टर अपडेट करना।
- दैनिक पाठ योजना और डायरी का उपयोग।

साप्ताहिक

- कमजोर बच्चों का आकलन एवं सुधार।
- प्रेरणादायक/शैक्षिक वीडियो सत्र।
- फुटबॉल एवं सह-शैक्षणिक अभ्यास।
- प्रखंड/जिला अधिकारियों द्वारा सघन निरीक्षण।

मासिक

- अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM)।
- उत्तर-पुस्तिकाओं का परिणाम विश्लेषण।
- विभाग को अनुपालन प्रगति प्रतिवेदन (Progress Report) भेजना।

https://teachersofbihar.org/

तत्काल प्रभाव से लागू (Immediate Compliance Required)



- वितरण: सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी इस पत्र की प्रति सभी विद्यालयों तक पहुँचाएँगे।
- 7-दिवसीय डेडलाइन: एक सप्ताह के भीतर सभी विद्यालयों से अनुपालन (Compliance) की पुष्टि विभाग को भेजी जाएगी।
- निरंतर निगरानी: इसके पश्चात् प्रत्येक माह प्रगति प्रतिवेदन (Progress Report) अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी है।
(This order is effective immediately.)

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार
(23 नवंबर 2024)

https://teachersofbihar.org/